

एनएचबी(एनडी)/आरएंडपीएफडी/2019-20
02 जून, 2020

सभी पात्र प्राथमिक ऋणदाता संस्थान/सार्वजनिक एजेंसियां

महोदय/महोदया,

ऋण स्थगन की अवधि का विस्तार - पुनर्वित्त एवं परियोजना वित्त

भारत सरकार ने देश में COVID-19 की महामारी को रोकने के लिए, दिनांक 24 मार्च, 2020 की आधी रात से पूरे भारत में लॉकडाउन की घोषणा की। लॉकडाउन द्वारा उत्पन्न आर्थिक और वित्तीय चुनौतियों का सामना करने के लिए, दिनांक 27 मार्च, 2020 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने नियामक संस्थाओं एवं राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ – साथ अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के सामने आने वाली चुनौतियों का निराकरण करने के लिए एक नियामक पैकेज की घोषणा की। दिनांक 31 मार्च, 2020 को बैंक की वेबसाइट पर अपलोड की गई अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) ने 1 मार्च, 2020 और 31 मई, 2020 के बीच सभी किस्तों के भुगतान पर अधिकतम तीन महीने की मोहलत देने की अनुमति देने का फैसला किया था।

2. कोविड – 19 के कारण लॉकडाउन में विस्तार निरंतर व्यवधान के मद्देनजर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 मई, 2020 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों को ऋण स्थगन की अवधि में अर्थात 1 जून, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक अतिरिक्त विस्तार देने की अनुमति प्रदान की है।
3. तदनुसार, राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) ने 1 जून, 2020 और 31 अगस्त, 2020 के बीच देय किस्तों के लिए ऋण स्थगन की अवधि को अतिरिक्त तीन महीने तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह ऋण स्थगन पुनर्वित्त परिचालन और परियोजना वित्त परिचालन दोनों से संबंधित भुगतानों के लिए लागू है।
4. पुनर्वित्त परिचालन और परियोजना वित्त परिचालन से संबंधित ऋण स्थगन की नियम और शर्तों के लिए दिनांक 31 मार्च, 2020 की अधिसूचनाओं का संदर्भ लिया जा सकता है जो बैंक की वेबसाइट पर अपलोड की गयी हैं।

भवदीय,

-ह-

महाप्रबंधक

पुनर्वित्त एवं परियोजना वित्त विभाग